

अध्याय 14

नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के अंतराल का मूल्यांकन

प्रस्तावना

74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को कई क्षेत्रों में कार्य करना होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ब में नगरीय स्थानीय निकायों की शक्तियाँ, अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

14.1 नगरीय निकायों की अधोसंरचना एवं सेवाओं पर हाई पॉवर एक्सपर्ट कमेटी, इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस, 2011 के प्रतिवेदन ने संचालन एवं संधारण लागत सहित उनकी बुनियादी संरचना और सेवा प्रदाय के अंतराल की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पहचान की सुविधा प्रदान की है। यह भविष्य की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने में भी सहायक सिद्ध हुई है। एचपीईसी द्वारा सांकेतिक मानदंडों के आधार पर संसाधन की आवश्यकताओं की गणना की गई है।

14.2 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर पालिक निगमों एवं नगर पालिका परिषदों से संबंधित सेवा स्तर बेंचमार्क की अधिसूचना के आधार पर सेवा प्रदाय में आ रहे अंतराल की पहचान की गई है। इस आधार पर सभी नगरीय स्थानीय निकायों हेतु आगामी 20 वर्षों के लिए अनुमान प्रक्षेपित किये गये हैं।

14.3 आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में समग्र रूप से इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया है कि सभी नगरीय स्थानीय निकाय विभिन्न अनुदानों पर आश्रित न होकर एक जीवन्त आत्मनिर्भर निकाय के रूप में कार्यरत रहें।

14.4 हाई पॉवर एक्सपर्ट कमेटी, इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस, 2011 की परिगणना के आधार पर आयोग का अनुमान है कि अधोसंरचना की स्थापना तथा परिचालन व अनुरक्षण के लिए प्रचलित मूल्यों पर अधिनिर्णय अवधि (वर्ष 2017-18 से 2021-22) में लगभग 10021.91 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। (तालिका 14.1)

तालिका 14.1
नगरीय निकायों में चरणबद्ध निवेश की आवश्यकता

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूँजीगत व्यय स्थिर मूल्यों पर 2010-11				परिचालन एवं अनुरक्षण		
	अनुमानित आवश्यकता				8 प्रतिशत वृद्धि के साथ	8.8 प्रतिशत वृद्धि दर	8 प्रतिशत वृद्धि दर
	नगरीय निकायों के समकों पर आधारित	वृद्धि दर के साथ	वृद्धि दर के साथ	वृद्धि दर के साथ			
2011-12		451.56	11 प्रतिशत	451.56			
12वीं पंचवर्षीय योजना							
1	12-13	501.23	15 प्रतिशत	519.29	560.84	310.00	334.80
2	13-14	556.37		597.19	644.96	337.28	364.26
3	14-15	617.57		686.76	741.71	366.96	396.32
4	15-16	685.50		789.78	852.96	399.25	431.19
5	16-17	760.90		908.25	980.91	434.39	469.14
	उप - योग	3121.57		3501.27	3781.37	1847.88	1995.71

13वीं पंचवर्षीय योजना								
6	17-18			12 प्रतिशत	1017.24	1098.62	472.61	510.42
7	18-19				1139.30	1230.45	514.20	555.34
8	19-20				1276.02	1378.10	559.45	604.21
9	20-21				1429.14	1543.48	608.69	657.38
10	21-22				1600.64	1728.69	662.25	715.23
	उप - योग				6462.35	6979.33	2817.21	3042.58
14वीं पंचवर्षीय योजना								
11	22-23			8 प्रतिशत	1728.69	1866.99	720.53	778.17
12	23-24				1866.99	2016.35	783.93	846.65
13	24-25				2016.35	2177.65	852.92	921.15
14	25-26				2177.65	2351.87	927.98	1002.22
15	26-27				2351.87	2540.02	1009.64	1090.41
	उप - योग				10141.55	10952.87	4295.00	4638.60
15वीं पंचवर्षीय योजना								
16	27-28			8 प्रतिशत	2540.016	2743.22	1098.49	1186.37
17	28-29				2743.217	2962.67	1195.15	1290.77
18	29-30				2962.675	3199.69	1300.33	1404.35
19	30-30				3199.689	3455.66	1414.76	1527.94
20	31-32				3455.664	3732.12	1539.26	1662.40
	उप - योग				14901.26	16093.36	6547.98	7071.82
	योग				35006.43	37806.94	15508.07	16748.71

स्रोत - इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस, 2011 प्रतिवेदन
द्वितीय राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन परिशिष्ट 15.1.

14.5 वर्ष 2016-17 के वास्तविक आँकड़े रुपये 520.22 करोड़ को आधार मानते हुए आगामी 5 वर्षों के लिए स्वयं के स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व का आकलन किया गया है। इसमें 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संवृद्धि का अनुमान करते हुए आगामी पाँच वर्षों के लिए प्रक्षेपण किया गया है। 25 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय एवं शेष 75 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में अनुमानित है।

निम्नलिखित तालिका 14.2 स्वयं के स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व की गणना को दर्शाती है :-

तालिका 14.2
स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व का प्रक्षेपण

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व	75% पूंजीगत, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय
1	2016-17	520.22	390.17
		8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संवृद्धि मानकर	
2	2017-18	561.84	421.38
3	2018-19	606.78	455.09
4	2019-20	655.33	491.50
5	2020-21	707.75	530.82
6	2021-22	764.37	573.28

स्रोत - एकत्रित आँकड़ों से की गई गणना

नगरीय स्थानीय निकायों हेतु समनुदेशित राजस्व का प्रक्षेपण

14.6 निम्नलिखित तालिका आगामी पाँच वर्षों के लिए समनुदेशित राजस्व के प्रक्षेपण को दर्शाती है। प्रक्षेपित राशि की 25 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय एवं शेष 75 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में अनुमानित की गई है। (तालिका 14.3)

तालिका 14.3
समनुदेशित राजस्व का प्रक्षेपण

क्रमांक	वर्ष	समनुदेशित राजस्व	75% पूंजीगत एवं परिचालन व अनुरक्षण व्यय
1	2017-18 (बजट प्रावधान)	1100.89	825.67
2	2018-19 (बजट प्रावधान)	1153.96	865.47
3	2019-20 (8 प्रतिशत वृद्धि दर)	1246.28	934.71
4	2020-21 (8 प्रतिशत वृद्धि दर)	1345.98	1009.48
5	2021-22 (8 प्रतिशत वृद्धि दर)	1453.66	1090.24
	योग	6300.76	4725.57

स्रोत - एकत्रित आंकड़ों से की गई गणना

राज्य वित्त आयोग का प्रस्तावित अंतरण

आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए अधिनिर्णय अवधि में राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 2.09 प्रतिशत अंतरण प्रस्तावित किया गया है। (तालिका 14.4)

तालिका 14.4
राज्य वित्त आयोग का प्रस्तावित अंतरण वर्ष 2017-18 से 2021-22 हेतु

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अंतरण राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 2.09 प्रतिशत	430.75	478.74	535.23	598.39	669.00	2712.11

14.7 अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017-18 से 2021-2022 के लिए अनुशांसा करने के उद्देश्य से अपने अनुमान उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति, इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस, 2011 प्रतिवेदन के आधार पर प्रक्षेपित किये हैं एवं इन पर आधारित वर्ष 2021-22 तक के लिए पूंजीगत व्यय हेतु आवश्यक राशि की गणना सही होने की पूर्ण संभावना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 में पूंजीगत व्यय में 15 प्रतिशत, परिचालन एवं अनुरक्षण में 8.8 प्रतिशत और मुद्रास्फीति के लिए 8 प्रतिशत की संवृद्धि दर दोनों तरह के व्यय हेतु मानी गई है। लेकिन 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2017-18 से वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय में 12 प्रतिशत, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में 8.8 प्रतिशत और मुद्रास्फीति के लिए 8 प्रतिशत की संवृद्धि दर दोनों तरह के व्यय हेतु मानी गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के आंकड़ों को आधार मानकर एवं उपरोक्त वर्णित संवृद्धि दर को संज्ञान में लेते हुए अनुमान प्रक्षेपित किए गए हैं। पूंजीगत परिसम्पत्तियों में निवेश एवं परिचालन व अनुरक्षण व्यय के लिए रु. 10,021.92 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। निवेश की आवश्यकता एवं संसाधन जुटाने का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित किया गया है।

तालिका 14.5
निवेश की आवश्यकता एवं संसाधन जुटाना

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	पूँजीगत व्यय	परिचालन व अनुरक्षण व्यय	कुल
1	2017-2018	1098.62	510.42	1609.04
2	2018-2019	1230.45	555.34	1785.79
3	2019-2020	1378.10	604.21	1982.31
4	2020-2021	1543.48	657.38	2200.86
5	2021-2022	1728.69	715.23	2443.92
	कुल	6979.34	3042.58	10021.92

स्रोत - इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस, 2011 प्रतिवेदन।

14.8 आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अधिनिर्णय अवधि हेतु सुझाए गए राज्य अंतरण सहित निवेश आवश्यकताओं एवं संसाधन जुटाये जाने का चित्रण तालिका 14.6 में दर्शित है।

तालिका 14.6

वर्ष 2017-18 से 2021-22 हेतु निवेशगत आवश्यकताएं एवं राजस्व संसाधनों की प्राप्ति

(करोड़ रुपये में)

निवेश हेतु राशि की आवश्यकता		राजस्व संसाधनों की प्राप्ति	
पूँजीगत आवश्यकता	6979	नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोतों से राजस्व (75 प्रतिशत)	2472
परिचालन व अनुरक्षण आवश्यकता	3043	समनुदेशित राजस्व (75 प्रतिशत)	4726
कुल आवश्यकता	10022	नगरीय स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध कुल कोष	7198
स्वच्छता कार्यक्रमों हेतु आवश्यक कोष	500	राज्य वित्त आयोग का अंतरण (प्रस्तावित राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 2.09 प्रतिशत)	2712
क्षमता निर्माण हेतु आवश्यक कोष	200	राज्य एवं केन्द्र शासन से अतिरिक्त निधि का अंतरण	9910
		अंतर जो पूरा किया जाना है	812
कुल योग	10722	कुल योग	10722

स्रोत - एकत्रित आंकड़ों से की गई गणना।

आंकड़ों को करोड़ रूपों में पूर्णांकित किया गया है

14.9 हमारी यह अवधारणा है कि स्वच्छता एवं क्षमता निर्माण में कहीं अधिक राशि की आवश्यकता होगी। अतः निवेश की आवश्यकता मद के अंतर्गत स्वच्छता के लिए 500 करोड़ रुपये एवं क्षमता निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। इससे इस क्षेत्र में सेवा प्रदाय और कार्य क्षमता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। साथ ही राज्य शासन द्वारा मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के लिए इस निवेश का उपयोग भी किया जा सकेगा। इन सभी तथ्यों के आधार पर निवेश की आवश्यकता 10722 करोड़ रुपये तक पहुंचती है।

अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को स्वयं के स्रोतों से राजस्व एवं समनुदेशित राजस्व के माध्यम से रू. 7198 करोड़ उपलब्ध होंगे। तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अंतरण के रूप में रू. 2712 करोड़ भी उपलब्ध होंगे। इसके बावजूद 812 करोड़ रुपये का अंतर रहेगा।

राज्य वित्त आयोग इस अंतर को पूरा करने के लिए कोई विशेष अनुशंसा नहीं कर रहा है। राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदानों एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों के दोहन से राजस्व में सुधार और लागत नियंत्रण के द्वारा इस अंतर को पाटा जा सकेगा।

